फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 111/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/159) **श्री मीठालाल बलाई बनाम श्रीमती पुष्पाबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री सुरेन्द्रसिंह चौहान - वकील अपीलार्थी 2. श्री लोकेश मेनारिया - वकील प्रत्यर्थी-1 **अनवान** **1. श्री मीठालाल पिता स्व. श्री दुदाजी बलाई निवासी खरनोटा, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमंद।** **अपीलार्थी** **1. श्रीमती पुष्पाबाई पुत्री स्व. श्री दुदाजी बलाई पत्नि श्री प्रेमराज सालवी, निवासी निमडी, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमंद।** **2. श्रीमती मांगीबाई पुत्री स्व. श्री दुदाजी बलाई पत्नि श्री लच्छीराम सालवी, निवासी साथियां, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमंद।** **3. श्रीमती शांताबाई पुत्री स्व. श्री दुदाजी बलाई पत्नि श्री परसराम सालवी, निवासी अमलियार, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमंद।** **4. श्रीमती सुतुबाई पुत्री स्व. श्री दुदाजी बलाई पत्नि श्री सोहनलाल सालवी, निवासी हट्टाजी का गुढ़ा, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमंद।** **5. सरपंच, ग्राम पंचायत खरनोटा, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमंद।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़, बप्रकरण संख्या 06/2018 निर्णय दिनांक 07.03.2024 (अनवान श्रीमती पुष्पाबाई बनाम श्री मीठालाल व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 20.06.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़, बप्रकरण संख्या 06/2018 निर्णय दिनांक 07.03.2024 (अनवान श्रीमती पुष्पाबाई बनाम श्री मीठालाल व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्रीमती पुष्पादेवी द्वारा ग्राम पंचायत खरनोटा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1313 निर्णय दिनांक 01.06.2004 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के पेश की और निवेदन किया कि ग्राम खरनोटा पटवार हल्का खरनोटा की जमाबंदी संवत् 2057-60 के खाता संख्या 166 किता 11 रकबा 15.06.00 बीघा में 1/4 दुदाजी बलाई के नाम पर व खाता संख्या 167 किता 3 रकबा 0.13.00 बीघा व खाता संख्या 292 किता 1 रकबा 0.04.00 बीघा भूमियां स्व. श्री दुदाजी पिता सुडाजी सा.दे. के नाम संयुक्त दर्ज थी। ग्राम पंचायत खरनोटा द्वारा उक्त भूमियों का बिना जांच किये विरासत से नामान्तरकरण संख्या 1313 निर्णय दिनांक 01.06.2004 से श्री मीठालाल व श्रीमती हीरूबाई के नाम दर्ज कर दी गई जबकि स्व. श्री दुदाजी के एक पुत्र श्री मीठालाल बलाई तथ चार पुत्रियां श्रीमती पुष्पाबाई, मांगीबाई,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 111/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/159) **श्री मीठालाल बलाई बनाम श्रीमती पुष्पाबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

शांताबाई, संतुबाई जीवित होकर कानूनन वारिसान है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच किये स्व. श्री दुदाजी बलाई के नाम दर्ज उक्त भूमियों का नामान्तकरण केवल पुत्र श्री मीठालाल बलाई एवं पत्नि श्रीमती हीरूबाई के नाम निर्णित कर दिया। प्रार्थीया श्रीमती पुष्पाबाई को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी कभी न हुई। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी खाता नकल निकालवाने पर ज्ञात हुई। ऐसें उक्त नामान्तरकरण संख्या 1313 को निरस्त फरमाया जाकर सभी वारिसान की जांच करा नये सिरे से सभी के नाम संयुक्त रूप से दर्ज कराने का आदेश प्रदान कराया जावें।

- उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ द्वारा उक्त अपील को अपने निर्णय दिनांक 07.03.2024 से स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1313 को अपास्त किया और प्रकरण पुनः तहसीलदार गढ़बोर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया कि स्व. श्री दुदाजी पिता सुडाजी बलाई सा.दे. के नाम पर दर्ज भूमियों का नामान्तरकरण स्व. श्री दुदाजी पिता सुडाजी बलाई सा.दे. के वारिसान की जांच कर नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालय को भिजवायें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ के उक्त निर्णय दिनांक 07.03.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अन्दर मयाद अपील पेश की। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 19.06.2024 को अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-1 उपस्थित। अन्य रेस्पोडेंटस् की ओर से बावजुद सूचना कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमि पर कभी भी श्रीमती पुष्पादेवी का हक व आधिपत्य नहीं रहा, न ही 16 वर्ष तक नामान्तरकरण को चुनौती दी गई। न ही श्रीमती हीरूबाई के वर्ष 2008 में स्वर्गवास उपरान्त चुनौती दी गई। पारिवारिक विवाद के कारण 16 वर्ष उपरान्त अपील पेश की गई। अपील पेश करने में हुई देरी के कारण संतोषप्रद नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद के बिन्दु को तय किये बिना एक अविधिक निर्णय पारित कर दिया जबकि सीपीसी के आदेश 41 नियम 3 के तहत मयाद के प्रार्थना पत्र को सर्वप्रथम निर्णिय किया जाना आज्ञापक है, उसके बाद की प्रकरण को गुणावगुण पर सुना जाना प्रावधित है। श्रीमती पुष्पादेवी के पति का नाम प्रेमराज सालवी न होकर नारूलाल सालवी है, उसके द्वारा गलत तथ्यों के साथ अपील पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों से परे जाकर स्वीकार की गई जो काबिल निरस्त के हैं। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2537/2024/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2024 की प्रति पेश की गई।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 111/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/159) **श्री मीठालाल बलाई बनाम श्रीमती पुष्पाबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रत्यर्थी-1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। ग्राम खरनोटा पटवार हल्का खरनोटा की जमाबंदी संवत् 2057-60 के खाता संख्या 166 किता 11 रकबा 15.06.00 बीघा में 1/4 दुदाजी बलाई के नाम पर व खाता संख्या 167 किता 3 रकबा 0.13.00 बीघा व खाता संख्या 292 किता 1 रकबा 0.04.00 बीघा भूमियां स्व. श्री दुदाजी पिता सुडाजी सा.दे. के नाम संयुक्त दर्ज थी। ग्राम पंचायत खरनोटा द्वारा उक्त भूमियों का बिना जांच किये विरासत से नामान्तरकरण संख्या 1313 निर्णय दिनांक 01.06.2004 से श्री मीठालाल व श्रीमती हीरूबाई के नाम दर्ज कर दी गई जबकि स्व. श्री दुदाजी के एक पुत्र श्री मीठालाल बलाई तथ चार पुत्रियां श्रीमती पुष्पाबाई, मांगीबाई, शांताबाई, संतुबाई जीवित होकर कानूनन वारिसान है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच किये स्व. श्री दुदाजी बलाई के नाम दर्ज उक्त भूमियों का नामान्तकरण केवल पुत्र श्री मीठालाल बलाई एवं पत्नि श्रीमती हीरूबाई के नाम निर्णित कर दिया। प्रार्थीया श्रीमती पुष्पाबाई को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी कभी न हुई। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी खाता नकल निकालवाने पर ज्ञात हुई। ऐसें उक्त नामान्तरकरण संख्या 1313 को निरस्त फरमाया जाकर सभी वारिसान की जांच करा नये सिरे से सभी के नाम संयुक्त रूप से दर्ज कराने का आदेश प्रदान कराया जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील पेश की जिसे स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई। प्रावधित है कि किसी भी अविधिक निर्णय/आदेश पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है और हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा सभी वारिसान के जांच किये बिना, उन्हें सुने बिना एक अविधिक निर्णय पारित किया है। ऐसे में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान परिशीलन एवं अध्ययन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन के स्पष्ट है कि वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्रीमती पुष्पादेवी द्वारा ग्राम पंचायत खरनोटा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1313 निर्णय दिनांक 01.06.2004 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के पेश की। उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ द्वारा उक्त अपील को अपने निर्णय दिनांक 07.03.2024 से स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1313 को अपास्त किया और प्रकरण पुनः तहसीलदार गढ़बोर को रिमाण्ड कर उक्तानुसार निर्देश जारी किये। उक्त निर्णय से व्यथीत होकर यह अपील पेश की गई।

प्रकरण में अधिवक्ता अपीलार्थी का प्रमुख उज्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद के बिन्दु पर कोई विनिश्चय किये बिना निर्णय जाना रहा है। इस संबंध में अभिलेखों के परिक्षण से यह तथ्य प्रकट होते है कि वक्त नामान्तरकरण संख्या

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 111/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/159) **श्री मीठालाल बलाई बनाम श्रीमती पुष्पाबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1313 पारित किये जाने समय ग्राम पंचायत द्वारा स्व.श्री दुदाजी के विधिक वारिसान की जांच की गई हो और जांच उपरान्त उन्हें सुना गया हो, सुनवाई का अवसर दिया गया हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावलियों न तो उपलब्ध है, न ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में यह तो स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 1313 की जानकारी केवल श्री मीठालाल एवं श्रीमती हीरूबाई को थी, अन्य वारिसान पुत्रियों की इसकी जानकारी होना तथ्यों से परिलक्षित नहीं होता है। ऐसा निर्णय प्राकृतिक न्याय की सिद्वान्त के विपरित होने एवं सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान को नजरअदांज कर पारित किये जाने से त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण है। ऐसे नामान्तरकरण पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर. आर.डी. 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया है कि-

> Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य नामान्तरकरण आदेश से विधिक वारिसान पुत्रियों के हित प्रभावित होते है। उनको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तानुसार मयाद के बिन्दु पर उदारतापुर्ण होकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया। परिसीमा नियमों का यह अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। नैसर्गिक न्याय का भी यह मूलभूत सिद्धांत है कि न्यायालय को प्रकरण को तकनीकी आधार पर खारिज न कर गुणावगुण पर निस्तारण करना चाहिए। प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने से पक्षकारान के मध्य मूल विवाद का समुचित एवं विधि सम्मत निस्तारण हो सकेगा, जिससे पक्षकारान के मध्य अनावश्यक वाद बाहुल्यता एवं वाद-विवाद को रोकने में भी मदद मिलेगी। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 मयाद अधिनियम पर प्रस्तुत उज्र उपरोक्त विधिक स्थिति में परिपेक्ष्य में खारिज किया जाता है।

दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों व बहस, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा गुणावगुण पर वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 111/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/159) **श्री मीठालाल बलाई बनाम श्रीमती पुष्पाबाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय एक तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में परिलक्षित कानूनी बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण में चस्पा/लागु नहीं होता है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2024 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	